

उत्तराखण्ड शासन
संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग—1
संख्या:— 161 / VI / 2013–01(07) / 2013 (418)
देहरादून: दिनांक 24, जून 2014,

अधिसूचना / विविध

राज्यपाल, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं 12 वर्ष 2001) की धारा 8 की उपधारा (2) के खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड राज्य में पर्यटन सम्बन्धी व्यवसायों तथा संस्थाओं का पंजीकरण, अनुज्ञा, भान्यता तथा इसी प्रकार के कार्य हेतु शुल्क आदि की शर्तें अवधारित किए जाने के क्रम में उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली, 2014 को प्रख्यापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली, 2014

अध्याय — 1

प्रारम्भिक

- | | | |
|--|--------|--|
| संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ | 1. | (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम “उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली, 2014” है।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।
(3) यह उस तिथि को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करें। |
| परिभाषाएं | 2. (1) | इस नियमावली में जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न होँ :—
(क) “अधिनियम” से समय—समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 अभिप्रेत है।
(ख) “राज्य” से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;
(ग) “सरकार” से उत्तराखण्ड राज्य सरकार से है ;
(घ) “परिषद्” का तात्पर्य उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् अभिप्रेत है;
(ङ.) “राजपत्र” से उत्तराखण्ड राज्य के राजपत्र अभिप्रेत है;
(च) “विहित” से इस नियमावली के अधीन बनाए गए विहित (अन्तर्निहित) नियम अभिप्रेत है;
(छ) “विहित प्राधिकारी” से पर्यटन विकास परिषद् द्वारा इस रूप में अधिसूचित / नियुक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;
(ज) “स्थानीय प्राधिकरण” से विकास प्राधिकरण, नगर निगम या नगर पालिका परिषद् या छावनी बोर्ड या नगर पंचायत या ग्राम पंचायत या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अभिप्रत है;
(झ) “पर्यटक” से उत्तराखण्ड राज्य में यात्रा करने वाले यात्रियों/ पर्यटकों/ साहसिक पर्यटकों सहित, कोई व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह अभिप्रेत है;
(ञ) “सक्षम/ पुनरीक्षण अधिकारी” से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् अभिप्रेत है |

6

- (ट) "अपील प्राधिकारी" से अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद अभिप्रेत है
- (ठ) "पंजीकरण प्रमाण—पत्र" से इस नियमावली के अधीन जारी प्रमाण—पत्र अभिप्रेत है
- (ड) "अनाचार" के अन्तर्गत छल; अयथार्थ प्रस्तुतीकरण, पर्यटक सुविधाओं में बाधा डालना; नियत किराये से अधिक किराया या पारिश्रमिक प्रभारित करना, किराए की दरें प्रदर्शित न करना, कैशमैमों/रसीद न देना, अनुबंध के अनुसार अथवा वचनबद्ध सुविधाएं/सेवायें प्रदान न करना, निम्नस्तरीय उपकरण उपलब्ध कराना और कुशल/तकनीकी कार्मिकों की व्यवस्था न करना, आदि
- (ढ) पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय से निम्न पर्यटन इकाईयों अभिप्रेत है –
 आवासीय संबंधी इकाई यथा :–
- (I) होटल, मोटल/मार्गीय सुविधा, रिजॉर्ट/हैल्थ-स्पा रिजॉर्ट, टाइमशेयर अपार्टमेन्ट, मोटर कारवां, अतिथि/यात्री विश्राम गृह, टैन्ट कालोनी/नेचर कैम्प, रिवर/लेक क्रूज़/हाउस बोट्स, पेझंग गेर्ट हाउस/बेड एण्ड ब्रेकफास्ट/होमस्टे, धर्मशाला, आश्रम, आदि
- (II) ट्रैवल ट्रेड संबंधी इकाई यथा :–
 ट्रैवल एजेन्ट, डोमेस्टिक ट्रुअर ऑपरेटर, एक्सकर्शन एजेन्ट
- (III) खान—पान संबंधी इकाई यथा :–
 रेस्टोरेन्ट/बियर बार, फारस्ट फूड सेंटर/फूड प्लाजा/फूड कोर्ट, व्रैकफास्ट भोजन ढावे आदि
- (IV) मनोरंजन संबंधी इकाई यथा :–
 आमोद—प्रमोद/थीम/एम्प्यूजमेन्ट पार्क, गोल्फ कोर्स, रज्जु मार्ग, ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन, एंगालिंग (मत्स्य आखेट), आदि
- (V) साहसिक पर्यटन संबंधी इकाई यथा :–
 एडवेंचर ट्रुअर ऑपरेटर, क्याकिंग/कैनोइंग/सेलिंग /याटिंग (पाल नौकायन)/बोटिंग (वाटर स्पोर्ट्स), वाटर स्कीइंग, स्नो स्कीइंग, पथारोहण (ट्रैकिंग), पर्वतारोहण, रॉक/कृत्रिम वॉल क्लाइमिंग, माउन्टेन बाइकिंग, वाइल्ड लाइफ सफारी/बर्ड वॉचिंग, मोटर कार/मोटर साइकिल रैली, पैरा सेलिंग/पैरा ग्लाइडिंग, बंजी जम्पिंग, हॉट एयर बैलूनिंग, फ्लाइंग फॉक्स, आइस स्केटिंग, एडवेंचर कलब, रिवर रापिटंग, आदि
- (VI) अन्य इकाई यथा :–
 हस्तशिल्प/सोविनियर शॉप, योग ध्यान केन्द्र/साधना कुटीर, पर्यटक सूचना केन्द्र, नेचर/एडवेंचर/वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, आदि।
- (ण) "पर्यटन इकाई ऑपरेटर" से उपनियम (३) में वर्णित ऐसे समस्त पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति/इकाई से है जो पर्यटन इकाई का स्वामी हो, या उसका परिचालन करता हो, और इसके अन्तर्गत स्वामी अथवा उसकी ओर से प्रबन्ध करने वाला या परिचालन करने वाले व्यक्तियों अभिप्रेत है;
- (2) शब्द और पदावलि जो इस नियमावली में प्रयुक्त है किन्तु वे परिभाषित नहीं हैं, उनके वहीं अर्थ होंगे, जो उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद अधिनियम, 2001 में दिए गए हैं।

2


शिथिलता

3. राज्य सरकार/पर्यटन विकास परिषद् के निर्णयानुसार जन सामान्य के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त सार्वजनिक परिसर अथवा लोक न्यास द्वारा धार्मिक या जन सामान्य के लिए निर्धारित अव्यावसायिक परिसर अथवा जन सामान्य के प्रयोजन के लिए निर्धारित स्थानीय निकाय या प्रशासकीय विभाग या सार्वजनिक परिसर अथवा सरकार या स्थानीय निकाय/प्राधिकरण या किसी अन्य प्रशासकीय विभाग के प्रबन्ध के अधीन अव्यावसायिक यिश्राम—गृह, डाक बंगला, सर्किट हाउस, निरीक्षण गृह इस नियमावली से आच्छादित नहीं होंगे।
- अध्याय—दो
पंजीकरण
4. (1) आवेदक को भिन्न—भिन्न प्रयोजन हेतु नई पर्यटन इकाई के पंजीकरण के लिए विहित प्राधिकारी को संलग्न अनुलग्नकों (यथा स्थिति अनुसार) पर निर्धारित प्रारूप में दो प्रतियों में पृथक—पृथक आवेदन आवेदन पत्र के साथ विहित प्राधिकारी के पक्ष में देय करना होगा। आवेदन पत्र के साथ विहित प्राधिकारी के पक्ष में देय आवेदन शुल्क के रूप में ₹0 1000/- (अहस्तांतरणीय) का बैंक ड्राफ्ट अथवा नकद भुगतान के साथ आवेदन करना होगा। अपूर्ण आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे।
- (2) साझेदारी फर्म/कम्पनी/संस्था होने की दशा में प्राधिकार—पत्र (पावर ऑफ अटार्नी) आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
- (3) आवेदन पत्र उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
- (4) कोई भी व्यक्ति/व्यवसायी अपनी नई पर्यटन इकाई का तब तक संचालन नहीं करेगा, जब तक कि उसे इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन पंजीकृत नहीं कर लिया जाता है।
- (5) इस नियमावली के लागू होने की तिथि से पूर्व से स्थापित इकाई के स्वामी/प्रबन्धक को इन नियमों के लागू होने के नब्बे दिन के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा।
- (6) आवेदक के पास पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय हेतु एक सुसज्जित कार्यालय होना अनिवार्य होगा, जिसमें पर्यटकों के बैठने की व्यवस्था, टेलीफोन, फैक्स, कम्प्यूटर, इन्टरनेट सुविधा व जनसुविधायें आदि विद्यमान हों।
- (7) आवेदक के पास संबंधित पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय के संचालन हेतु वांछित तकनीकी उपकरण, सुरक्षा एवं बचाव संबंधी उपकरण होना अनिवार्य होगा। आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उसके पास संबंधित पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय के संचालन हेतु वांछित तकनीकी उपकरण, सुरक्षा एवं बचाव संबंधी उपकरण उपलब्ध हैं।
- (8) प्रत्येक आवेदक को संबंधित पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय के संचालन हेतु वांछित तकनीकी/कुशल कार्मिकों के कार्यरत होने की सूची/बायोडाटा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।



		(9) यदि पर्यटन इकाई को संचालित करने वाला स्वामी/ प्रबन्धक पर्यटन इकाई में कोई परिवर्तन, विस्तार या परिवर्धन करता है, तो उसे ऐसे परिवर्तन, विस्तार या परिवर्धन की सूचना विहित प्राधिकारी को साठ दिन के भीतर देनी अनिवार्य होगी।
पंजीकरण की स्वीकृति	5. (1)	विहित प्राधिकारी द्वारा कार्यालय में भिन्न-भिन्न प्रयोजनों हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों की सम्यक जाँच के उपरान्त पंजीकरण की कार्यवाही अथवा निरस्त करने के कारणों को अवगत कराते हुये आवेदन पत्र का निस्तारण 60 दिनों की अवधि में किया जायेगा। ऐसा न होने की दशा में आवेदक के पंजीकरण को रखतः ही स्वीकृत समझा जाएगा।
	(2)	विहित प्राधिकारी द्वारा जब तक किसी आवेदक को पंजीकरण से इन्कार नहीं करता, उसे नियमानुसार पांच वर्ष की अवधि हेतु पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा, जिसका पांच वर्ष के पश्चात् गुणावर्णन के आधार पर पुनः नवीनीकरण किया जायेगा।
	(3)	विहित प्राधिकारी, जब तक कि इन्कार नहीं करता, पर्यटन इकाई ऑपरेटर के नाम और विशिष्टियों को इस प्रयोजन के लिए बनाए गए रजिस्टर में प्रविष्ट करते हुये यथा स्थिति अनुसार पर्यटन इकाई ऑपरेटर को नियमानुसार पंजीकरण का प्रमाण-पत्र जारी करेगा।
पंजीकरण का नवीनीकरण	6.	सभी पंजीकृत इकाइयों को अपनी इकाई के नवीनीकरण हेतु नियम 4 की भाँति ही पंजीकरण समाप्त होने की तिथि से दो माह पूर्व विहित प्राधिकारी को अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
पंजीकरण शुल्क	7.	विहित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् द्वारा अवधारित निर्धारित पंजीकरण शुल्क वसूल किया जायेगा। परिषद् द्वारा पंजीयन शुल्क का पुनरीक्षण हर तीसरे वर्ष किया जायेगा।
पर्यटन इकाई ऑपरेटर के पंजीकरण से इन्कार	8. (1)	विहित प्राधिकारी, इस नियमावली के अधीन या यथा स्थिति अनुसार, पर्यटन इकाई ऑपरेटर का पंजीकरण निम्नलिखित में से किसी आधार पर करने से इन्कार कर सकता है –
	(क)	यदि, पर्यटन इकाई ऑपरेटर भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अध्याय 14 और 16 के अधीन, या इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन या जमाखोरी, तस्करी या मुनाफाखोरी या खाद्य और औषधियों का अपमिश्रण, या भ्रष्टाचार के निवारण का उपबन्ध करने वाली किसी विधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता है, और उस पर अधिरोपित दण्डादेश के पर्यवसान से, दो वर्ष व्यतीत नहीं हुए हों।
	(ख)	यदि, पर्यटन इकाई ऑपरेटर को सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया जाता है और विनायित नहीं किया गया हो;
	(ग)	यदि, पर्यटन इकाई ऑपरेटर का नाम नियम 9 (ग), (घ), (ङ) व (छ) में उल्लिखित आधार पर रजिस्टर से हटाया गया हो और हटाए जाने की तिथि से तीन मास व्यतीत नहीं हुए हो;
	(घ)	यदि पर्यटन इकाई का परिसर विहित मानकों के अनुरूप नहीं हो;

- (ङ) यदि यात्रा, अभिकर्ता या गाइड या साहसिक पर्यटन ऑपरेटर वांछित अहंताओं में से कोई अहंता नहीं रखता हो;
- (च) यदि, पर्यटन इकाई ऑपरेटर या यात्रा अभिकर्ता या गाइड या साहसिक पर्यटन ऑपरेटर (यथा स्थिति अनुसार) इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित पंजीकरण का प्रमाण-पत्र नहीं रखता हो;
- (छ) यदि पर्यटन इकाई ऑपरेटर सबूत पेश करने में विफल हो जाता है कि पर्यटन इकाई की संरचना, प्रचलित नियमों के उपबन्धों के अधीन या प्रवृत्त किसी अन्य स्थानीय विधि के अधीन बनाई गई भवन बनाने सम्बन्धी उप-विधियों के अनुसार बनाई गई हो; और
- (ज) यदि विहित प्राधिकारी की राय में, पंजीकरण से इन्कार करने के लिए लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने के लिए पर्याप्त आधार हो;
- (2) परन्तु पंजीकरण के किसी आवेदन को तब तक इन्कार नहीं किया जाएगा जब तक कि पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो;

रजिस्टर से 9.
पर्यटन इकाई
ऑपरेटर का नाम
हटाना तथा
नोटिस देना

- (1) विहित प्राधिकारी, निम्नलिखित उपबन्धों में से किसी भी आधार पर, लिखित आदेश द्वारा रजिस्टर से पर्यटन इकाई ऑपरेटर (यथा स्थिति अनुसार) के नाम को हटा सकता है और नियम 5 के अधीन जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र को रद्द कर सकता है, यदि :—
 - (क) पर्यटन इकाई को स्वेच्छा से बन्द करने की दशा में अथवा एक वर्ष की अवधि से अधिक व्यवसाय न करने की दशा में;
 - (ख) भारतीय दण्ड संहिता में निहित प्राविधानों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने की दशा में;
 - (ग) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किये जाने की दशा में;
 - (घ) इस नियमावली के किसी उपबन्ध का अनुपालन न करने की दशा में;
 - (ङ) ऐसे उपद्रवी पर्यटक / यात्री जो किसी पर्यटन इकाई में अथवा भवन के आस-पास अधिवास करने वाले व्यक्तियों के लिए बाधा बन रहे हों, को निकालने में असफल रहने की दशा में अथवा जानबूझ कर अपनी इकाई में ऐसे उपद्रवी को रखने की दशा में;
 - (च) उसके विरुद्ध अनाचार की कोई शिकायत प्राप्त होती है और उसकी पुष्टि होने की दशा में;
 - (छ) किसी स्थानीय निकाय के अनुमोदन के बिना संरचनात्मक परिवर्तन करने की दशा में;
 - (ज) छल अथवा कपट से पंजीकरण का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की दशा में;
 - (2) परन्तु रजिस्टर से नाम हटाये जाने से पूर्व, विहित प्राधिकारी, पर्यटन इकाई ऑपरेटर को स्पष्ट कारण दर्शाते हुए, उसको सुनवाई के लिये अन्तिम अवसर प्रदान करने हेतु नोटिस देगा

पर्यटन इकाई के 10. (1) निरीक्षण का
अधिकार

कैश/बिल बुकों का निरीक्षण कर सकेगा।

- (2) पर्यटन इकाई ऑपरेटर द्वारा किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन/क्रियान्वयन न होने की दशा में सक्षम प्राधिकारी को पंजीकरण स्थगित अथवा निरस्त करने का अधिकार होगा।

अध्याय-तीन

पर्यटन इकाई ऑपरेटर के उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य

पर्यटन इकाई
ऑपरेटर के
उत्तरदायित्व एवं
कर्तव्य

11. (1) पर्यटन इकाई ऑपरेटर एवं उसके कर्मचारियों को इन नियमों एवं उपबन्धों का प्रत्येक समय पर कड़ाई से पालन करना आवश्यक होगा।
- (2) प्रत्येक पर्यटन इकाई ऑपरेटर द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की नियत दरें और सेवा के प्रभार आदि को जिन्हें पर्यटकों/ग्राहकों से प्राप्त किया जाये कि सूचना विहित प्राधिकारी को सूचित करनी होगी तथा इसकी बोशार, पुस्तिका आदि भी प्रकाशित करनी होगी। यदि वर्तमान दरों में कोई परिवर्तन किया जाये, तो उसकी सूचना एक सप्ताह के अन्दर विहित प्राधिकारी को उपलब्ध करानी होगी तथा स्वगत पटल/कार्यालय कक्ष में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करनी होगी।
- (3) प्रत्येक पर्यटन इकाई ऑपरेटर को अपने कार्यालय के स्वागत कक्ष में एक शिकायत/सुझाव पुस्तिका रखनी होगी।
- (4) प्रत्येक पर्यटन इकाई ऑपरेटर द्वारा देशी एवं विदेशी पर्यटकों की सार्विकी प्रत्येक भाष की 7 तारीख तक विहित प्राधिकारी को उपलब्ध कराते हुये, उसे उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद की वेबसाइट पर लिंक प्रदान कर अपलोड करानी होगी।
- (5) प्रत्येक पर्यटन इकाई ऑपरेटर को सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुरूप उत्तराखण्ड के निवासियों को अपनी फर्म में रोजगार उपलब्ध कराना होगा।
- (6) प्रत्येक साहसिक पर्यटन इकाई ऑपरेटर को देशी-विदेशी, गाइड/वरिष्ठ गाइड/प्रशिक्षक/कुशल तकनीकी कर्मियों का विवरण स्थानीय पुलिस स्टेशन में प्रस्तुत करना होगा। पर्यटन इकाई ऑपरेटर नेपाली/विदेशी कार्मिकों की गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होगा, जिसके लिये एक लिखित अन्डरटेकिंग स्थानीय पुलिस स्टेशन को उपलब्ध करानी होगी।
- (7) कोई पर्यटन इकाई आपरेटर निर्धारित दरों से अधिक रकम किसी करार के प्रतिकूल होते हुए भी वसूल नहीं करेगा।
- (8) पर्यटन इकाई आपरेटर, सेवा प्राप्त करने वाले (यथा स्थिति अनुसार) व्यक्ति/पर्यटक/ग्राहकों को ब्यौरेवार देयक (बिल) प्रस्तुत करेगा तथा प्राप्त की गयी धनराशि की मूल रसीद देगा, जिसकी द्वितीय प्रति अपने पास रसीद बुक में सुरक्षित रखेगा।

- (9) प्रत्येक पर्यटन इकाई ऑपरेटर किसी दुर्घटना/अप्रिय घटना घटने की दशा में तुरन्त त्वरित संचार के माध्यम से स्थानीय जिला प्रशासन, पुलिस स्टेशन एवं पंजीकरण प्राधिकारी को सूचित करेगा।
- (10) प्रत्येक पर्यटन इकाई ऑपरेटर को परिषद द्वारा आवंटित पंजीकरण प्रमाण पत्र स्वागत पटल/कार्यालय कक्ष पर स्पष्ट दृष्टिगोचर स्थान पर प्रदर्शित करना होगा।
- (11) कोई भी पर्यटन इकाई ऑपरेटर अथवा उसके यहां नियुक्त कोई भी व्यक्ति, सेवा प्राप्त करने वाले व्यक्ति अथवा पर्यटक से उपधारा (2) के अधीन यथा नियत दरों के सिवाय, कोई "टिप" (बख्खीश), उपदान, उपहार कमीशन की मांग नहीं करेगा।
- बीमा आच्छादन**
12. प्रत्येक साहसिक पर्यटन इकाई ऑपरेटर का यह दायित्व होगा कि वह प्रत्येक पर्यटक/कर्मचारी/देशी-विदेशी गाईड/प्रशिक्षक/कुत्ती/कुशल तकनीकी कर्मियों का अनिवार्य रूप से बीमा करायेगा, जिसका निर्धारण राज्य सरकार/उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद अपने आदेश द्वारा समय-समय पर करेगी।
- अध्याय-चार**
- अपील और पुनरीक्षण**
- अपील**
13. (1) उपनियम 2 के उपबन्धों के अध्यधीन, इस नियमावली के अधीन विहित प्राधिकारी के प्रत्येक आदेश के विरुद्ध अपील, अपीलीय प्राधिकारी को होगी।
- (2) प्रत्येक ऐसी अपील, आदेश की सूचना की तारीख से नब्बे दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।
परन्तु अपील प्राधिकारी, उक्त नब्बे दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील करने से युक्ति-युक्त कारणों द्वारा निवारित हुआ था।
- (3) अपीलार्थी को, अधिवक्ता या सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा, प्रतिनिधित्व किए जाने का अधिकार होगा तथा विहित प्राधिकारी का ऐसे अधिकारी या व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकेगा, जिसे विहित प्राधिकारी नियुक्त करें।
- (4) किसी अपील की प्राप्ति पर, अपील प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह उचित समझता हो और उसके कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात्, ऐसा आदेश जैसा वह उचित समझे, पारित करेगा।
- पुनरीक्षण**
14. परिषद द्वारा नियुक्त किए जाने वाला पुनरीक्षण प्राधिकारी, स्वप्रेरणा से या व्यक्ति पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर, अपील प्राधिकारी द्वारा निपटाए गए मामले के अभिलेखों को, अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के सहीकरण वैद्यता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के उद्देश्य से, मंगवा सकेगा तथा तदुपरि ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह उचित समझे और ऐसा अन्तिम होगा।
परन्तु पुनरीक्षण के लिए ऐसा आवेदन, अपील प्राधिकारी द्वारा आदेश

पारित करने की तारीख से तीन मास की अवधि के अवसान के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह और कि पुनरीक्षण प्राधिकारी स्वप्रेरणा से, किसी प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित किए गए या उसके समुख लम्बित किसी मामले का अभिलेख मंगवा सकेगा और ऐसा आदेश, जैसा वह उचित समझे पारित कर सकेगा।

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक उसे व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता द्वारा या सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान नहीं किया जाता।

अध्याय—पांच

अपराध और शास्तियां

पंजीकरण में 15.
व्यतिक्रम के लिए
शास्ति

इस नियमावली के अधीन उचित पंजीकरण के बिना या इस नियमावली के किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन में, पर्यटन एवं पर्यटन व्यवसाय से सम्बन्धित कोई अन्य कारोबार करने वाला कोई व्यक्ति, दस हजार रुपए के जुर्माने से दण्डनीय होगा। परन्तु यदि उल्लंघन जारी रहता हो तो, एक हजार रुपए प्रतिदिन, जब तक व्यतिक्रम जारी रहता है, के जुर्माने से सक्षम प्राधिकारी द्वारा दण्डनीय होगा।

मिथ्या कथन के 16.
लिए शास्ति।

इस नियमावली के अधीन कथन देने के लिए अपेक्षित कोई व्यक्ति, यदि जानबूझकर मिथ्या कथन करता है या विहित प्राधिकारी को भुलावा देने के लिए किसी सारभूत तथ्य को छुपाता है, तो वह दस हजार रुपए के जुर्माने से सक्षम प्राधिकारी द्वारा दण्डनीय होगा।

प्रमाण—पत्र का 17.
बिना अनुज्ञा के
समनुदेशित न
किया जाना।

कोई व्यक्ति जो, सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना इस नियमावली के अधीन जारी किए गए पंजीकरण के प्रमाण—पत्र को उधार देता है, हस्तान्तरित या समनुदेशित करता है, तो वह दस हजार रुपए के जुर्माने से सक्षम प्राधिकारी द्वारा दण्डनीय होगा।

व्यक्तियों के 18. (1)
मांगने पर
प्रमाण—पत्र
दिखाया जाना

इस नियमावली के अधीन पंजीकृत कोई व्यक्ति, किसी भी समय, निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर, अपना पंजीकरण प्रमाण—पत्र दिखाएगा :—

- (क) विहित प्राधिकारी या उसके द्वारा इस निमित सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी, और
- (ख) सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ००००००००००, द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी ; और
- (ग) वास्तविक ग्राहक / पर्यटक / अतिथि
- (2) कोई व्यक्ति, जो प्राधिकृत व्यक्तियों में से किसी के द्वारा मांगने पर अपना प्रमाण—पत्र दिखाने या इसे पढ़ने की अनुज्ञा देने से इच्छार करता है, तो वह पांच हजार रुपए के जुर्माने से, दण्डनीय होगा।

अनाचार के लिए 19.
शास्ति

कोई व्यक्ति जो अनाचार करता है या इस नियमावली के किसी अन्य उपबन्ध जिसके लिए कोई भी विनिर्दिष्ट शास्ति उपबन्धित नहीं की गई है, का उल्लंघन करता है, तो वह दस हजार रुपए के जुर्मान से दण्डनीय होगा। व्यतिक्रम जारी रहने की दशा में पंजीकरण प्रमाण

		पत्र निरस्त अथवा स्थगित किया जा सकेगा।
विधियुक्त प्राधिकारियों को बाधा पहुंचाना	20.	यदि कोई व्यक्ति, विहित प्राधिकारी या उसके द्वारा इस नियमावली के नियमों के अनुसरण में उसे प्रदत्त अथवा उसको अधिरोपित किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने या कर्तव्यों का पालन करने हेतु प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के कर्तव्यों के उन्मोचन में जानबूझ कर कोई बाधा डालता है या कोई प्रतिरोध करता है अथवा अन्यथा विघ्न डालता है, तो वह एक हजार रुपए के जुर्माने से दण्डनीय होगा।
शास्तियों की वसूली	21	इस नियमावली की धारा 15 से 20 के अधीन की गयी शास्तियों का भुगतान न किये जाने की दशा में इसकी वसूली भू-राजस्व अधिनियम में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत वसूली की जा सकती।
कार्यवाहियां संस्थित करना	22.	इस नियमावली के अधीन किसी अपराध के लिए, विहित प्राधिकारी या उस द्वारा या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की गई शिकायत के सिवाय, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा।
		अध्याय-छ: प्रकीर्ण
परिवर्तनों की अधिसूचना	23. (1)	यदि किसी पर्यटन इकाई जिसके लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है, के उत्तराधिकार में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, तो ऐसी स्थिति में परिवर्तन की तारीख से तीस दिन के भीतर, ऐसे तथ्य को लिखित रूप में विहित प्राधिकारी को अधिसूचित करना होगा।
	(2)	विहित प्राधिकारी, इस प्रयोजन के लिए बनाए रखे गए रजिस्टर और पंजीकरण प्रमाण-पत्र में इस आशय का आवश्यक परिवर्तन करेगा।
	(3)	उप-नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, विहित प्राधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति, जिसके पक्ष में मूलतः प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, का नाम रजिस्टर से हटा सकेगा यदि उसका उत्तरवर्ती इस नियमावली के अधीन पंजीकृत किए जाने का पात्र नहीं है।
पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस करना	24.	इस नियमावली के अधीन जब पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया जाता है तो प्रमाण-पत्र का धारक व्यक्ति, रद्दकरण पत्र की विहित रीति में, तामील की तारीख से सात दिन के भीतर, विहित प्राधिकारी को इसे वापस करेगा।
डुप्लीकेट प्रमाण-पत्र	25.	इस नियमावली के अधीन जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र यदि गुम, क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाता है, तो विहित प्राधिकारी, ऐसे प्रमाण-पत्र के धारक व्यक्ति द्वारा इस निमित्त किए गए आवेदन पर आवेदन शुल्क जमा करते हुये, डुप्लीकेट प्रमाण-पत्र जारी करेगा।
परित्राण	26.	इस नियमावली के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही सरकार एवं सरकार व परिषद के किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी।
अन्य व्यक्तियों को नियमावली को लागू करने की परिषद् की	27.	पर्यटन परिषद अधिसूचना द्वारा, यह निर्देश दे सकेगी कि इस नियमावली या तद्धीन बनाए गए नियमों के सभी या कोई उपबन्ध, ऐसे अपवादों, अनुकूलीकरणों या उपांतरणों सहित, जैसे आवश्यक समझे जाएं, उत्तराखण्ड राज्य में बाहू फोटो खींचने, गृह नौका,

शक्ति।

डॉगी, शिकारे, डांडियों, पिटटुओं, टटटुओं को किराए पर देने या उन्हें चलाने के कारोबार में लगे व्यक्तियों अथवा ऐसे अन्य व्यक्तियों जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जाये पर लागू होंगे और विहित प्राधिकारी, की जाने वाली सेवाओं के लिए प्रभारित की जाने वाली दरें नियत कर सकेगा।

- नियम बनाने की 28.** (1) पर्यटन परिषद् इस नियमावली के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए पूर्व में जारी अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के द्वारा कोई नियम बनाने के लिये सक्षम है।
- (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा।
- (क) पर्यटन इकाई आपरेटरों द्वारा कारोबार के संचालन के लिए रजिस्टरों, पुस्तकों और प्ररूपों का बनाए रखा जाना।
- (ख) पंजीकरण के लिए आवेदन और पंजीकरण के प्रमाण—पत्र का प्रारूप।
- (ग) रजिस्ट्रीकरण, नवीकरण और छुप्लीकेट प्रमाण—पत्र के जारी करने के लिए फीस।
- (घ) इस नियमावली के अधीन नोटिस देने की रीति।
- (ङ) पर्यटन इकाई आपरेटर द्वारा संचालित भिन्न-भिन्न गतिविधियों के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हता।
- (च) साहसिक खेल-कूद के संचालन में अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपाय और मानक तथा प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ।
- (छ) विभिन्न प्रकार की पर्यटन इकाईयों में स्वारक्षकर और सफाई अपशिष्ट निपटान और न्यूनतम सुविधाओं को बनाए रखने के लिए मानक।
- (ज) रजिस्टर से हटाए गए, पर्यटन इकाई आपरेटर के नाम और पते प्रकाशित करने की रीति।
- (झ) यह रीति जिसमें नियत उचित दरें प्रदर्शित की जाएगी, विहित प्राधिकारी को टिकटों के प्रकार, और जारी की जाने वाली रसीदें, उसके लेखे और विवरणी प्रस्तुत करना और बनाए रखना, अनुज्ञाप्ति फीस, नवीकरण फीस और अन्य देयों का संग्रहण और निक्षेप।
- (अ) यह स्थान जहाँ विहित प्राधिकारी इस नियमावली के अधीन जांच करेगा, और इस नियमावली के अधीन अभिव्यक्त रूप में विहित किए जाने वाले सभी विषय।
- (ट) पंजीकृत इकाईयों की सूचना हर माह के अन्त में समस्त जिलाधिकारियों को प्रेषित की जायेगी।

आज्ञा से,

(डॉ० उमाकान्त पंवार)
सचिव

आवासीय इकाई के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र

(होटल, मोटल / मार्गीय सुविधा, रिजॉर्ट / हैल्थ-स्पा रिजॉर्ट, टाइम्सेयर अपार्टमैन्ट, मोटर कारवां, अतिथि/यात्री विश्राम गृह, टैन्टकालोनी, रिवर/लेक क्रूज़ / हाउस बोट्स, पेइंग गेस्ट हाउस / बेड एण्ड ब्रेकफास्ट / होमस्टे, धर्मशाला, आश्रम, आदि)

सेवा में,

विहित प्राधिकारी,
उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली-2013 के प्राविधानों के अनुसार मेरे/हमारे द्वारा निर्मित नवीन/पुरानी आवासीय इकाई के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें वांछित सूचनाएँ निम्नवत् प्रस्तुत हैं:-

1. आवासीय पर्यटन इकाई का नाम :
पता
दूरभाष / मोबाइल / फैक्स / ई-मेल
2. रखायी/पार्टनर का नाम : (1)
(2)

स्थाई पता
अस्थाई पता
दूरभाष / मोबाइल / फैक्स / ई-मेल
3. प्रबन्धक / कैयर टैकर का नाम व पता
क- रजिस्टर्ड डीडे की प्रतिलिपि
ख- स्वीकृत/अनुमोदित भवन मानचित्र एवं
साइट प्लान की प्रति
ग- दाखिल खारिज की प्रति
घ- सम्पत्ति की वैधानिक स्थिति
(निजी स्वामित्व/लीज/किराये/
पार्टनरशिप / आदि)
4. निर्माण का वर्ष
5. आवासीय इकाई के प्रारम्भ होने की तिथि
(पुरानी इकाई होने पर)
6. आवासीय इकाई में कक्षों/दरों का विवरण
क- सुइट रूम :
ख- एविजक्यूटिव रूम:
ग- डीलक्स/सुपर डीलक्स रूम:
घ- डोरमेटरी :
ड- एयर कूल्ड / साधारण/अन्य :
7. कुल आवासीय कक्षों एवं शैय्याओं का
8. कुल आवासीय कक्षों एवं शैय्याओं का

विवरण

9. आवासीय इकाई में उपलब्ध सुविधाओं का
विवरण :
क— कार पार्किंग
ख— रेस्टोरेन्ट
ग— बार
घ— स्विमिंग पूल
ड— कान्फ्रैंस होल
च— तकनीकी उपकरणों का विवरण
छ— अन्य सुविधायें
10. स्टाफ (कुशल/अकुशल) का विवरण
उनके नाम/पदनाम/पता/अनुभव/
शिक्षा/वेतन/सेवा की अवधि आदि
11. रोजगार सृजन में रथानीय समुदाय की
सहभागिता का विवरण
12. सुरक्षा एवं बचाव सम्बन्धी उपकरणों का
विवरण
13. चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित ऑडिटेड
बैंलेस शीट एवं लाभ-हानि का स्टेटमेंट
(कम्पनी लों के अन्तर्गत प्राविधिकित)
(नवीनीकरण की स्थिति में)
14. आयकर विभाग से प्राप्त आयकर भुगतान
प्रमाण-पत्र की प्रति (नवीनीकरण की स्थिति
में)
15. पिछले पंजीकरण का विवरण (यदि पंजीकरण का
नवीनीकरण कराया जाना हो)
- 16.

घोषणा

मैं/हम यह भी घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्तानुसार दी गई समस्त सूचना वास्तव में
मेरे/हमारी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है। मैं/हम इस बात के लिये पूर्ण रूप से सचेत हूँ/हैं
कि किसी भी दशा में उक्त वर्णित सूचना गलत तथ्यों के आधार पर पाई जाती है तो मेरा/हमारा
पंजीकरण किसी भी समय निरस्त/रोका जा सकता है।

अतः आपसे अनुरोध करना है कि कृपया मेरे/हमारे उक्त आवासीय पर्यटन इकाई को
उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली-2013 की धारा-5 के अन्तर्गत पंजीकृत
करने का कष्ट करें।

संलग्नकः—
दिनांकः—

आदेदक/पार्टनर के हस्ताक्षर :
नाम
पता
मोबाइल/दूरभाष नम्बर


ट्रैवल ट्रेड सम्बन्धी इकाई के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र

(ट्रैवल एजेन्ट, डोमेस्टिक ट्रुअर ऑपरेटर, एक्सकर्शन एजेन्ट आदि)

सेवा में,

विहित प्राधिकारी,
उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद

..... |

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली-2013 के प्राविधानों के अनुसार मेरे/हमारे द्वारा संचालित नवीन/पुरानी ट्रैवल ट्रेड सम्बन्धी इकाई के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें वांछित सूचनाएँ निम्नवत् प्रस्तुत हैं:-

1. ट्रैवल ट्रेड सम्बन्धी इकाई का नाम :
पता
दूरभाष /मोबाइल/फैक्स /ई-मेल
2. स्वामी/पार्टनर का नाम : (1)
(2)
- स्थाई पता
अस्थाई पता
- दूरभाष/मोबाइल/फैक्स/ई-मेल :
- पंजीकरण संख्या :
(शॉप एक्ट के अधीन अथवा फर्म एवं सोसायटी/कम्पनी/सर्विस टैक्स आदि की छायाप्रति सलग्न करें)
- प्रबन्धक/कैयर टैकर का नाम व पता
- ट्रैवल ट्रेड इकाई के कार्यालय भवन की वैधानिक स्थिति (निजी स्वामित्व का भवन/लीज/किराये) का विवरण:-
- का- कार्यालय का क्षेत्र (वर्ग मी० में) :
ख- लोकेशन एरिया (कृपया सही कॉलम पर निशान लगायें) व्यावसायिक () आवासीय ()
- ग- स्वागत कक्ष का क्षेत्र (वर्ग मी० में)
घ- शौचालय की व्यवस्था (कृपया सही कॉलम पर निशान लगायें) हाँ/नहीं
- ट्रैवल ट्रेड इकाई के प्रारम्भ होने की तिथि (पुरानी इकाई होने पर)
- ट्रैवल ट्रेड के क्षेत्र में कार्य का अनुभव

8. स्टाफ (कुशल/अकुशल) का विवरण
 (उनके नाम/पदनाम/पता/अनुभव/
 शिक्षा/वेतन/सेवा की अवधि आदि)
9. रोजगार सृजन में स्थानीय समुदाय की सहभागिता का विवरण
11. सम्पादित की जाने वाली गतिविधियों का विवरण :
 क— ट्रेवल प्रबन्धन
 ख— साइट सीन
 ग— होटल बुकिंग
 घ— साहसिक गतिविधि
 ङ— कोई अन्य गतिविधि
12. सुरक्षा एवं बचाव सम्बन्धी उपकरणों का विवरण
13. बीमा का विवरण (साहसिक गतिविधि हेतु)
14. गतिविधि वार लिये जाने वाले शुल्क का विवरण (कृपया टैरिफ़ कार्ड संलग्न करें)
15. बैंक का नाम (कृपया बैंक से सम्बन्धित पत्र संलग्न करें)
16. चार्टेड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित ऑडिटेड बैलेस शीट एवं लाभ-हानि का रेटमेंट (कम्पनी लॉ के अन्तर्गत प्राविधानित) (नवीनीकरण की स्थिति में)
17. आयकर विभाग से प्राप्त आयकर भुगतान प्रमाण-पत्र की प्रति (नवीनीकरण की स्थिति में)
18. पिछले पंजीकरण का विवरण (यदि पंजीकरण का नवीनीकरण कराया जाना हो)

19—

घोषणा

मैं/हम यह भी घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्तानुसार दी गई समस्त सूचना वास्तव में मेरे/हमारी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है। मैं/हम इस बात के लिये पूर्ण रूप से सचेत हूँ/हैं कि किसी भी दशा में उक्त वर्णित सूचना गलत तथ्यों के आधार पर पाई जाती है तो मेरा/हमारा पंजीकरण किसी भी समय निरस्त/रोका जा सकता है।

अतः आपसे अनुरोध करना है कि कृपया मेरे/हमारे उक्त आवासीय पर्यटन इकाई को उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली-2013 की धारा-5 के अन्तर्गत पंजीकृत करने का कष्ट करें।

संलग्नकः—
 दिनांकः—

आवेदक/पार्टनर के हस्ताक्षर :
 नाम
 पता
 मोबाइल/दूरभाष नम्बर

खान-पान संबंधी इकाई के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र

(रेस्टोरेन्ट / बियर बार, फास्ट फूड सेंटर, फूड प्लाजा, फूड कोर्ट आदि)

सेवा में,

विहित प्राधिकारी,
उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद
.....।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली-2013 के प्राविधिकारों के अनुसार मेरे / हमारे द्वारा निर्मित नवीन / पुराने रेस्टोरेन्ट / बियर बार, फास्ट फूड सेंटर, फूड प्लाजा, फूड कोर्ट के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें वांछित सूचनाएँ निम्नवत् प्रस्तुत हैं:-

1. इकाई का नाम :
2. स्थाई पता
दूरभाष / मोबाइल / फैक्स / ई-मेल
3. स्वामी / पार्टनर का नाम : (1)
(2)
स्थाई पता
4. अस्थाई पता
5. दूरभाष / मोबाइल / फैक्स / ई-मेल :
प्रबन्धक / कैयर टैकर का नाम व पता
6. खान-पान इकाई की भूमि का विवरण:-
रजिस्टर्ड डीड की प्रतिलिपि
क—स्वीकृत / अनुमोदित भवन मानचित्र एवं
ख—साइट प्लान की प्रति
दाखिल खारिज की प्रति
ग—सम्पत्ति की वैधानिक स्थिति (निजी
घ—स्वामित्व / लीज / किराये / पार्टनरशिप,
आदि)
6. निर्माण का वर्ष
7. इकाई के प्रारम्भ होने की तिथि (पुरानी
इकाई होने पर)
9. इकाई में बैठने की कुल क्षमता
.....

10. फूड/बार लाइसेन्स का विवरण
11. इकाई में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण
 - क— बार/बियर बार
 - ख— जन सुविधायें
 - ग— बैंकिंग हॉल
 - घ— कार पार्किंग
 - ड— अन्य सुविधायें
12. चार्टेड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित ऑडिटेड बैलेस शीट एवं लाभ-हानि का स्टेटमेंट (कम्पनी लॉ के अन्तर्गत प्राविधानित) (नवीनीकरण की स्थिति में)
13. आयकर विभाग से प्राप्त आयकर भुगतान प्रमाण-पत्र की प्रति (नवीनीकरण की स्थिति में)
14. पिछले पंजीकरण का विवरण (यदि पंजीकरण का नवीनीकरण कराया जाना हो)

15—

घोषणा

मैं/हम यह भी घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपरोक्तानुसार दी गई समस्त सूचना वास्तव में मेरे/हमारी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है। मैं/हम इस बात के लिये पूर्ण रूप से सचेत हूं/हैं कि किसी भी दशा में उक्त वर्णित सूचना गलत तथ्यों के आधार पर पाई जाती है तो मेरा/हमारा पंजीकरण किसी भी समय निरस्त/रोका जा सकता है।

अतः आपसे अनुरोध करना है कि कृपया मेरे/हमारे उक्त आवासीय पर्यटन इकाई को उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली-2013 की धारा-5 के अन्तर्गत पंजीकृत करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-
दिनांक:-

आवेदक/पार्टनर के हस्ताक्षर :.....
नाम
पता
मोबाईल/दूरभाष नम्बर



मनोरंजन संबंधी इकाई के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र

(आमोद-प्रमोद/थीम/एम्यूजमेन्ट पार्क, गोल्फ कोर्स, रज्जु मार्ग, ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन, एंगलिंग (मत्स्य आखेट) आदि)

सेवा में,

विहित प्राधिकारी,
उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद
.....।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली-2013 के प्राधिकारियों के अनुसार मेरे/हमारे द्वारा आमोद-प्रमोद/थीम/एम्यूजमेन्ट पार्क, गोल्फ कोर्स, रज्जु मार्ग, ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन, एंगलिंग (मत्स्य आखेट) के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें वांछित सूचनाएँ निम्नवत् प्रस्तुत हैं:-

1. इकाई का नाम :
 2. स्थाई पता
दूरभाष/मोबाइल/फैक्स/ई-मेल
 3. स्वामी/पार्टनर का नाम : (1)
(2)
स्थाई पता
अस्थाई पता
 4. दूरभाष/मोबाइल/फैक्स/ई-मेल :
 5. प्रबन्धक/कैयर टैकर का नाम व पता
 6. मनोरंजन इकाई की भूमि का विवरण:-
क- रजिस्टर्ड डीड की प्रतिलिपि
 - ख- स्वीकृत/अनुमोदित भवन मानचित्र एवं
साइट प्लान की प्रति
 - ग- दाखिल खारिज की प्रति
 - घ- सम्पत्ति की वैधानिक स्थिति (निजी
स्वामित्व/लीज/किराये/पार्टनरशिप,
आदि)
 7. निर्माण का वर्ष
 8. इकाई के प्रारम्भ होने की तिथि (पुरानी
इकाई होने पर)
 9. इकाई में लिए जाने वाले दरों का विवरण
- :-

10. लाइसेन्स का विवरण
11. इकाई में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण
 - क— जन सुविधायें
 - ख— बैंकिंग हॉल
 - ग— कार पार्किंग
 - घ— अन्य सुविधायें
12. चार्टेड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित ऑडिटेड बैलेस शीट एवं लाभ-हानि का स्टेटमेंट (कम्पनी लॉ के अन्तर्गत प्राविधानित) (नवीनीकरण की स्थिति में)
13. आयकर विभाग से प्राप्त आयकर भुगतान प्रमाण-पत्र की प्रति (नवीनीकरण की स्थिति में)
14. पिछले पंजीकरण का विवरण (यदि पंजीकरण का नवीनीकरण कराया जाना हो)

15—

घोषणा

मैं/हम यह भी घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्तानुसार दी गई समस्त सूचना वास्तव में मेरे/हमारी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है। मैं/हम इस बात के लिये पूर्ण रूप से सचेत हूँ/हैं कि किसी भी दशा में उक्त वर्णित सूचना गलत तथ्यों के आधार पर पाई जाती है तो मेरा/हमारा पंजीकरण किसी भी समय निरस्त/रोका जा सकता है।

अतः आपसे अनुरोध करना है कि कृपया मेरे/हमारे उक्त मनोरंजन सम्बन्धी इकाई को उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली-2013 की धारा-5 के अन्तर्गत पंजीकृत करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-
दिनांक:-

आवेदक/पार्टनर के हस्ताक्षर :
नाम
पता
मोबाइल/दूरभाष नम्बर



साहसिक पर्यटन संबंधी इकाई के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र

(एडवेंचर ट्रुअर ॲपरेटर, क्याकिंग / कैनोइंग / सेलिंग / याटिंग (पाल नौकायन) / बोटिंग, वाटर स्कीइंग, स्नो स्कीइंग, पथरोहण (ट्रैकिंग), पर्वतारोहण, रॉक / कृत्रिम खाँल कलाइम्बिंग, माउन्टेन बाइकिंग, वाइल्ड लाइफ सफारी / बर्ड वॉचिंग, मोटर कार / मोटर साइकिल रैली, पैरा सेलिंग / पैरा ग्लाइडिंग, बंजी जम्बिंग, हॉट एयर बैतूनिंग, फ्लाइंग फॉक्स, आइस रैकेटिंग, एडवेंचर वलब, रिवर रापिटिंग, आदि)

सेवा में,

विहित प्राधिकारी,

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद

.....।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली-2013 के प्राविधानों के अनुसार मेरे/हमारे द्वारा साहसिक पर्यटन संबंधी इकाई के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें वांछित सूचनाएँ निम्नवत् प्रस्तुत हैं:-

1. साहसिक पर्यटन सम्बन्धी इकाई का नाम
पता
दूरभाष / मोबाइल / फैक्स / ई-मेल
2. रखाई/पार्टनर का नाम :
(1)
(2)
- स्थाई पता
अरथाई पता
- दूरभाष / मोबाइल / फैक्स / ई-मेल :
पंजीकरण संख्या (शॉप
एक्ट के अधीन अथवा फर्म एवं
सोसायटी/कम्पनी/सर्विस टैक्स आदि की
छायाप्रति संलग्न करें)
- प्रबन्धक/कैयर टैकर का नाम व पता
साहसिक पर्यटन इकाई के कार्यालय भवन की
वैधानिक स्थिति (निजी रखासित का
भवन/लीज/किराये) का विवरण:-
- कार्यालय का क्षेत्र (वर्ग मी० में)
क- कार्यालय का क्षेत्र (वर्ग मी० में) :
ख- लोकेशन एरिया (कृपया सही कॉलम पर निशान व्यावसायिक () आवासीय ()
लगायें)
ग- रवागत कक्ष का क्षेत्र (वर्ग मी० में)
घ- शौचालय की व्यवस्था (कृपया सही कॉलम पर हाँ/नहीं
निशान लगायें)

6. साहसिक पर्यटन इकाई के प्रारम्भ होने की
तिथि (पुरानी इकाई होने पर)
7. साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में कार्य का अनुभव
का विवरण
8. स्टाफ (कुशल/अकुशल) का विवरण
(उनके नाम/पदनाम/पता/अनुभव/शिक्षा/
वेतन/सेवा की अवधि आदि)
9. रोजगार सृजन में स्थानीय समुदाय की
सहभागिता का विवरण
10. सम्पादित की जाने वाली गतिविधियों का
विवरण :
11. साहसिक उपकरणों का विवरण
12. सुरक्षा एवं बचाव सम्बन्धी उपकरणों का विवरण
13. बीमा का विवरण
14. गतिविधि वार लिये जाने वाले शुल्क का
विवरण (कृपया टैरिफ़ कार्ड संलग्न करें)
15. बैंक का नाम (कृपया बैंक से सम्बन्धित पत्र
संलग्न करें)
16. चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित ऑडिटेड
बैंलेस शीट एवं लाभ-हानि का स्टेटमेंट
(कम्पनी लों के अन्तर्गत प्राविधानित)
(नवीनीकरण की स्थिति में)
17. आयकर विभाग से प्राप्त आयकर भुगतान
प्रमाण-पत्र की प्रति (नवीनीकरण की स्थिति में)
18. पिछले पंजीकरण का विवरण (यदि पंजीकरण
का नवीनीकरण कराया जाना हो)

20—

घोषणा

मैं/हम यह भी घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्तानुसार दी गई समस्त सूचना वास्तव में
मेरे/हमारी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है। मैं/हम इस बात के लिये पूर्ण रूप से सचेत हूँ/हैं
कि किसी भी दशा में उक्त वर्णित सूचना गलत तथ्यों के आधार पर पाई जाती है तो मेरा/हमारा
पंजीकरण किसी भी समय निरस्त/रोका जा सकता है।

अतः आपसे अनुरोध करना है कि कृपया मेरे/हमारे साहसिक पर्यटन सम्बन्धी इकाई को
उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली-2013 की धारा-5 के अन्तर्गत पंजीकृत
करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-
दिनांक:-

आवेदक/पार्टनर के हस्ताक्षर :
नाम
पता
मोबाइल/दूरभाष नम्बर

अन्य पर्यटन इकाई के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र

(हस्ताशिल्प / सोयिनियर शॉप, योग ध्यान केन्द्र / साधना कुटीर, पर्यटक सूचना केन्द्र,
नेचर / एडवेचर / वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी आदि)

सेवा में,

विहित प्राधिकारी,
उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद
..... |

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली-2013 के प्राविधानों के अनुसार मेरे/हमारे द्वारा पर्यटन संबंधी इकाई के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें वांछित सूचनाएं निम्नवत् प्रस्तुत हैं:-

1. इकाई का नाम :
2. स्थाई पता
दूरभाष / मोबाइल / फैक्स / ई-मेल
3. स्वामी/पार्टनर का नाम : (1)
(2)
- स्थाई पता
अस्थाई पता
4. दूरभाष / मोबाइल / फैक्स / ई-मेल :
5. प्रबन्धक / कैंयर टैकर का नाम व पता
6. इकाई के कार्य की प्रकृति का विवरण:-
.....
7. अनुभव
8. इकाई की स्थापना का वर्ष
9. इकाई के प्रारम्भ होने की तिथि (पुरानी इकाई होने पर)
10. इकाई में लिए जाने वाले दरों का विवरण :-
11. इकाई में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण
12. चार्टर एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित ऑडिटेड बैलेस शीट एवं लाभ-हानि का स्टेटमेंट (कम्पनी लॉ के अन्तर्गत प्राविधानित)
(नवीनीकरण की स्थिति में)

8

- 13 आयकर विभाग से प्राप्त आयकर भुगतान प्रमाण-पत्र की प्रति (नवीनीकरण की स्थिति में)
- 14 पिछले पंजीकरण का विवरण (यदि पंजीकरण का नवीनीकरण कराया जाना हो)

15—

घोषणा

मैं/हम यह भी घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपरोक्तानुसार दी गई समस्त सूचना वास्तव में मेरे/हमारी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है। मैं/हम इस बात के लिये पूर्ण रूप से सचेत हूं/हैं कि किसी भी दशा में उक्त वर्णित सूचना गलत तथ्यों के आधार पर पाई जाती है तो मेरा/हमारा पंजीकरण किसी भी समय निरस्त/रोका जा सकता है।

अतः आपसे अनुरोध करना है कि कृपया मेरे/हमारे उक्त सम्बन्धी इकाई को उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली-2013 की धारा-5 के अन्तर्गत पंजीकृत करने का काष्ट करें।

संलग्नक:-
दिनांक:-

आवेदक/पार्टनर के हस्ताक्षर :.....
नाम
पता
मोबाइल/दूरभाष नम्बर